

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 1975/श्रावण 21, 1897
No. 225] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 1975/SRAVANA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मूल संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August 1975

G.S.R. 444(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and section 34 of the Defence and Internal Security of India Act, 1971 (42 of 1971), and of all other powers enabling the Central Government in this behalf, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Defence and Internal Security of India, Rules, 1971, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence and Internal Security of India (Third Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 48.**—In rule 48 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(aa) direct that any matter required to be submitted for scrutiny to the authority aforesaid shall not be published in any document or class of documents except with the permission, in writing, of such authority and, where such authority deems it necessary to impose any conditions or restrictions in granting such permission, except in accordance with such conditions and restrictions (including conditions as to making of any modifications, whether by way of additions, omissions or otherwise in the matter) as such authority may impose;”.

[No. II/16012/3/75-S&P(D.II)].

C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

सां कां त्रि० 444(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 3 और धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा (तृतीय संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम, 48 का संशोधन.—भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 48 में उपनियम (1) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) निदेश कर सकेगी कि उपरोक्त प्राधिकारी के समक्ष पड़ताल के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई विषय किसी दस्तावेज या दस्तावेजों के वर्ग में ऐसे प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के सिवाये और जहाँ ऐसा प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय कोई शर्तें या निबन्धन अधिरोपित करना आवश्यक समझता है तो वहाँ ऐसी शर्तों और निबन्धनों (जिनके अन्तर्गत कोई उपान्तरण, चाहे विषय में परिवर्धन या लोप के रूप में अथवा अन्यथा, करने की शर्तें भी हैं,) जिन्हें ऐसा प्राधिकारी अधिरोपित करें, के सिवाये प्रकाशित नहीं किया जाएगा;”।

[सं० II/16012/3/75-एस० एण्ड पी० (डी० II)]

सी० बी० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव।